THE MANITOBA **HUMAN RIGHTS** COMMISSION — LA COMMISSION DES **DROITS DE LA PERSONNE** DU MANITOBA

शिकायत दर्ज करने के लिए मार्गदर्शिका

मानवाधिकार संहिता ("संहिता") एक प्रांतीय कानून है जो किसी भी व्यक्ति को जिसे यह विश्वास हो कि उसके साथ भेदभाव किया गया है उसे मैनिटोबा मानवाधिकार आयोग ("आयोग") के पास शिकायत दर्ज करवाने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि नियोजकों, सेवा प्रदाताओं और मकान मालिकों को बिना किसी तर्कसंगत वजह के भेदभाव नहीं करना चाहिए।

क्या मेरे साथ भेदभाव हुआ है?
संहिता के तहत भेदभाव एक व्यक्ति के साथ एक संरक्षित विशेषता के कारण बिना किसी तर्कसंगत वजह के उनके नुकसान के लिए **अलग तरह से व्यवहार करना** है। संहिता के तहत संरक्षित विशेषताएं व्यक्तिगत पहचान के पहलू हैं जिनमें वंश या जाति शामिल है; राष्ट्रीयता; धर्म या पंथ; जातीय बैकग्राउंड; आयु; सेक्स (गर्भावस्था सहित); लिंग पहचान; यौन अभिविन्यास; वैवाहिक या पारिवारिक स्थिति; आय का स्रोत; राजनीतिक विश्वास; शारीरिक या मानसिक विकलांगता; सामाजिक नुकसान; और आपराधिक रिकॉर्ड।

संहिता में उन विशेषताओं में से एक के आधार पर किसी व्यक्ति की **विशेष आवश्यकताओं को यथोचित रूप से समायोजित करने में विफल होना** भी भेदभाव है।
अन्तर्ग्रहण अधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग किसी अन्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह का सदस्य होने के आधार पर शिकायतों को स्वीकार कर सकता है।

क्या मेरा उत्पीड़न हुआ है?
उत्पीड़न भेदभाव का एक रूप है। उत्पीड़न अपमानजनक व्यवहार का एक स्वरूप है जो संहिता की एक विशेषता से जुड़ा है और इसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

क्या मेरे साथ प्रतिशोध हुआ है?
शिकायत दर्ज करने, शिकायत प्रक्रिया में भाग लेने या संहिता का उल्लंघन करने से इनकार करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही प्रतिशोध है।

क्या कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है? क्या इसकी कोई समय सीमा है?
कोई भी व्यक्ति यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है कि किसी और ने संहिता का उल्लंघन किया है। कथित भेदभावपूर्ण कृत्य के एक (1) वर्ष के भीतर शिकायतें दर्ज की जानी चाहिए। कुछ मामलों में, समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

मैं शिकायत कैसे दर्ज करूं?
यदि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है, तो कृप्या आयोग से संपर्क करें और एक अन्तर्ग्रहण अधिकारी आपकी सहायता करेगा। हमारी सेवाएं और प्रकाशन फ्रेंच

और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं। हम अनुरोध पर अनुवादक की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मानवाधिकार शिकायत दर्ज करने या मानवाधिकारों की चिंता के बारे में सलाह लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

आयोग के कर्मचारी निष्पक्ष हैं और किसी भी पार्टी की वकालत नहीं करते हैं।

मुझे कौन सी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है?

यदि आपकी समस्या संहिता के अंतर्गत आती है, तो अन्तर्ग्रहण अधिकारी आपसे अन्तर्ग्रहण प्रश्नावली फॉर्म भरने के लिए कहेगा। यह फ़ॉर्म आपकी शिकायत का मसौदा तैयार करने में हमारी मदद करेगा। हम उस संगठन या व्यक्ति ("प्रतिवादी") की पहचान करने के लिए आपके द्वारा प्रदान किए गए फ़ॉर्म और जानकारी का उपयोग करेंगे जिसके बारे में आप ("शिकायतकर्ता") शिकायत कर रहे हैं। कर्मचारी भेदभाव के आपके आरोपों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे, जैसे कि क्या हुआ और आप भेदभावपूर्ण व्यवहार का कारण क्या मानते हैं। आपसे संभावित गवाहों और आपकी शिकायत से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे चिकित्सा, किरायेदारी, या रोज़गार रिकॉर्ड जैसे चेक स्टब्स या रोज़गार के रिकॉर्ड। आपकी शिकायत के आधार पर, आपकी शिकायत की जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे चिकित्सा या अन्य सहमति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा जा सकता है।

अन्तर्ग्रहण अधिकारी आपसे अन्य दस्तावेज मांग सकते हैं जो आपकी शिकायत की जांच में सहायक होंगे। वे इस जानकारी को आपकी फ़ाइल में संग्रहित करेंगे। यदि आपकी शिकायत की जांच की जाती है, तो जांचकर्ता आपसे दस्तावेज या कोई अन्य सबूत मांगेगा जिसकी उन्हें आपकी शिकायत की जांच करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके पास ऐसे दस्तावेज़ या अन्य सामग्रियां हैं जो आपको लगता है कि आपकी शिकायत के लिए प्रासंगिक हैं, तो आपको उन्हें सुरक्षित रूप से रखना चाहिए ताकि वे जांचकर्ता को उपलब्ध कराई जा सकें।

मैं किसके खिलाफ शिकायत करूं?

हमारे अन्तर्ग्रहण अधिकारी दस्तावेजों (जैसे टी4 या रोजगार का रिकॉर्ड) की समीक्षा करके और संगठन के कानूनी नाम पर शोध करके यह तय करने में आपकी मदद करेंगे कि किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। क्योंकि संहिता नियोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं और आवास प्रदाताओं के कार्यों पर लागू होती है, इसलिए शिकायत संभवतः किसी कंपनी या संगठन के विरुद्ध होगी। कुछ मामलों में, किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है (जैसे कि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय के मालिक द्वारा परेशान किया गया हो या यदि आवास प्रदाता कोई व्यक्ति हो)।

क्या आयोग मुझे सलाह दे सकता है?

हमारे अन्तर्ग्रहण अधिकारी कानूनी सलाह नहीं दे सकते। वे संहिता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं; इसके सिद्धांत और इसमें क्या शामिल है। वे अपने अनुभव के आधार पर सुझाव भी दे सकते हैं। आपके पास एक वकील का अधिकार है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आयोग के कर्मचारी निष्पक्ष हैं और किसी भी पक्ष की ओर से वकालत नहीं करते हैं।

आयोग मेरी शिकायत के साथ क्या करता है?
हमारे अन्तर्ग्रहण अधिकारी आपके द्वारा अन्तर्ग्रहण प्रश्नावली फॉर्म में दी गई जानकारी लेंगे और हमारे मानक फॉर्म में एक शिकायत तैयार करेंगे। शिकायत में स्पष्ट रूप से आपकी शिकायत का आधार होना चाहिए और यह आमतौर पर केवल 1 या 2 पेज की होती है।
शिकायत प्रतिक्रिया के लिए प्रतिवादी को दिए जाने से पहले पंजीकृत होनी चाहिए। आयोग तब निर्धारित करेगा कि क्या वह शिकायत की जांच कर सकता है। कुछ मामलों में, शिकायतों को बिना जांच-पड़ताल के खारिज कर दिया जाएगा, अगर उन्हें किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया गया है, या यदि शिकायत की गई कार्रवाइयां संहिता के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी गाइड टू अर्ली असेसमेंट एंड डिसमिसल विदाउट इन्वेस्टिगेशन देखें।

ऐसे मामलों में जहां आयोग शिकायत की जांच करता है, आयोग के कार्यकारी निदेशक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। यदि कार्यकारी निदेशक निर्णय लेते हैं कि भेदभाव के पर्याप्त सबूत हैं, तो वे अनुरोध करेंगे कि एक न्यायनिर्णायक शिकायत की सार्वजनिक सुनवाई में अंतिम निर्णय लें। यदि कार्यकारी निदेशक यह निर्णय लेते हैं कि शिकायत के आरोप संहिता के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी अन्य अधिनियम के तहत निपटाए गए थे, या भेदभाव के पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं, तो वे शिकायत को खारिज कर देंगे। जाँच प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी जाँच मार्गदर्शिका देखें। जन सुनवाई के बारे में जानकारी के लिए, हमारी गाइड टू एडजुडिकेशन देखें।

आयोग प्रक्रिया में विभिन्न समयों पर मध्यस्थता की पेशकश भी करेगा। मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी मध्यस्थता मार्गदर्शिका देखें।

क्या मुझे औपचारिक शिकायत दर्ज कराए बिना मदद मिल सकती है?
आपकी समस्या की प्रकृति के आधार पर, आयोग के कर्मचारी पूर्व-शिकायत मध्यस्थता के माध्यम से आपकी चिंता को हल करने में मदद कर सकते हैं। आपके समझौते के साथ, आयोग का एक कर्मचारी व्यक्ति उस व्यक्ति या संगठन को टेलीफोन करेगा जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने आपके साथ भेदभाव किया है और बिना किसी लिखित शिकायत के अनौपचारिक आधार पर किसी समाधान पर पहुंचने की संभावना का पता लगाएगा। पूर्व-शिकायत मध्यस्थता स्वैच्छिक है, और इसमें आपकी भागीदारी के साथ-साथ संभावित प्रतिवादी दोनों की आवश्यकता होती है। पूर्व-शिकायत सुलह चर्चाओं को गोपनीय रखा जाता है और अगर मामला औपचारिक शिकायत पर आगे बढ़ता है तो इसका खुलासा नहीं किया जाता है।

This guide is available in alternate formats.
Ce guide est disponible en français.

कई पक्षों को इस प्रक्रिया के माध्यम से एक संतोषजनक समाधान या स्पष्टीकरण मिलता है क्योंकि यह तेज और अनौपचारिक है। कोई भी समझौता जो आप संभावित प्रतिवादी के साथ करते हैं, गलतफहमी से बचने के लिए आप दोनों को एक पत्र में निर्धारित किया जाता है। आम तौर पर हमारे पास आपकी प्रवेश फ़ाइल तब तक बंद नहीं की जाएगी जब तक समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। यदि संभावित प्रतिवादी समझौते को पूरा करने में विफल रहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम इस मामले पर फिर से विचार करेंगे।

मैंने पहले ही अपनी यूनियन के साथ या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी चिंताओं का समाधान कर लिया है। क्या मैं मानवाधिकार शिकायत भी दर्ज कर सकता हूं?

यदि आप पहले से ही अपने संघ के साथ या किसी अन्य कानूनी मंच (जैसे सामाजिक सेवा अपील बोर्ड, श्रमिक मुआवजा बोर्ड, या न्यायालयों के माध्यम से) के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझा चुके हैं, तो आयोग को आपकी शिकायत की जांच किए बिना इसे खारिज करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि एक ही मुद्दे को एकाधिक के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और आयोग
अन्य कानूनी मंचों व कानूनी निर्णय निर्माताओं के अधिकार का सम्मान करता है। अधिक जानकारी के लिए, जांच के बिना प्रारंभिक मूल्यांकन और बर्खास्तगी के लिए हमारी मार्गदर्शिका देखें।

यदि आपने अपने मामले को किसी अन्य फोरम के माध्यम से आगे बढ़ाया है, तो कृप्या अपने अन्तर्ग्रहण अधिकारी को सूचित करें। वे आपको, जहां लागू हो, अन्य समर्थनों या एजेंसियों के बारे में बताएंगे।

This guide is available in alternate formats.
Ce guide est disponible en français.